

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन कि- एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती बस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीयों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
क्रमांक	खाता संख्या	खालदार का नाम	खरारा संख्या	संख्या	खालदार का नाम	खरारा संख्या	संख्या
वेमोर मौलासर	36	जिन कुरफटि कर्णलिट्ट जादि राजपूत शेष बदलू	फिग ⑥ 184	18-52	जिन कुरफटि पर्दि कर्णलिट्ट जादि राजपूत शेष बदलू	फिग ⑥ 184	18-52

क्रमांक :- 902/24

प्रतिनिधि पालनाथ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनाथ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं है ता निगयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी  
शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.इ.वा.भा.)  
20/07/2024, पं.स. मौलासर  
दिनांक :-

शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.इ.वा.भा.)  
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर